<u>आरक्षित निर्णय</u>

<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय</u>

<u>नैनीताल</u>

श्री एस. के. मिश्रा, ए. सी.जे.

एवं

श्री एन. एस. धनिक, जे.

<u>आपराधिक संदर्भ संख्या - 05 सन 2021</u>

मध्य

दीगर सिंह को दिए गए मृत्युदंड के मामले में ..... अपीलार्थी ।

एवं

उत्तराखंड राज्य ....प्रत्यर्थी

साथ मे

आपराधिक अपील संख्या 08 सन 2022

मध्य

दीगर सिंह ....अपीलकर्ता।

एवं

उत्तराखंड राज्य ....प्रत्यर्थी ।

अपीलकर्ता के लिए वकील: श्री अरविंद वशिष्ठ विद्वान एमिकस क्यूरी, सहायक विद्वान अधिवक्ता सुश्री शीतल सेलवाल

उत्तरदाता के वकील: श्री जे. एस. विर्क, विद्वान डिप्टी एडवोकेट जनरल, सहायक श्री आर. के. जोशी , विद्वान ब्रीफ होल्डर

<u>आरक्षित: 24.02.2022</u>

<u>उद्घोषित: 19.05.2022</u>

विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया गया

<u>निर्णय:</u> (श्री एस. के. मिश्रा, ए.सी.जे. द्वारा)

इस आपराधिक संदर्भ में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 366 (जिसे इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "संहिता" के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत, सत्र विचारण संख्या- 11 सन 2020 में विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा दिनांक 24.11.2021 को दिए गए निर्णय एवं मृत्यु दंड की शुद्धता पर दोषी कैदी द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील के साथ विचार किया जाता है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया गया है (जिसे इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "दंड संहिता" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

2. **अनोखिलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2019) 20 एससीसी 196** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार, हमने श्री अरविंद वशिष्ठ, नामित वरिष्ठ अधिवक्ता को दोषी कैदी-अपीलकर्ता की ओर से मामले में बहस करने के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है।

3. अनावश्यक विवरण दिखाते हुए, अभियोजन का मामला यह है कि 07.10.2019 को श्री बलजीत सिंह ने पूर्व ग्राम प्रधान के माध्यम से चोरगलिया के स्टेशन हाउस ऑफिसर को जानकारी दी कि दोषी कैदी दिगर सिंह कोरांगा ने धारदार हथियार से अपनी मां की हत्या शरीर के बाकी हिस्सों से उसका सिर काटकर की है। ऐसी सूचना मिलने पर श्री संजय जोशी, तत्कालीन एस. एच. ओ. चोरगलिया, इसके संबंध में पुलिस दल के साथ संबंधित गांव पहुंचे और उन्होंने देखा कैदी की मां जोमती देवी मृत पड़ी है और उसका सिर शरीर से कटा हुआ है। इसके बाद, दोषी कैदी के पिता ने एसएचओ के समक्ष पूरे मामले का वर्णन किया और कहा कि यह घटना 07.10.2019 को लगभग 09:00 बजे हुई। एसएचओ ने उक्त सूचनकर्ता से रिपोर्ट मिलने के पश्चात मामले की विवेचना शुरू कर दी। जांच के दौरान, उन्होंने एफआईआर संख्या 62 सन 2019 के रूप मे आपराधिक मामला दर्ज किया, मृत्यु जांच रिपोर्ट तैयार की, गवाहों की परीक्षा की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तात्विक सामग्री और प्रासंगिक दस्तावेज जब्त किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अन्तर्गत दोषी कैदी-अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप के स्तर पर, अपीलार्थी ने अपराध किए जाने से इनकार किया। इसलिए, दंड संहिता के उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत आरोप तय किए गए थे।

4. अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने बारह गवाहों को परीक्षित कराया। पी. डब्ल्यू. 1. सोबन सिंह कोरंगा इस मामले में सूचनकर्ता हैं। वह दोषी कैदी का पिता और मृतक का पति है। पी. डब्ल्यू. 2 बीना बिष्ट, पी. डब्ल्यू. 3 देविका देवी और पी. डब्ल्यू. 4 नैना कोरंगा (मृतका की बहू) घटना के चश्मदीद गवाह हैं। अन्य सभी गवाह शासकीय गवाह हैं। पी. डब्ल्यू. 5 डॉ. सिंटो देवी ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया है, पी. डब्ल्यू. 6 एस. आई. भुवन सिंह राणा, पी. डब्ल्यू. 7 एस. आई. दीपा जोशी, दो पुलिस अधिकारी हैं जो विवेचना के हिस्सा थे, और उन्होंने विवेचना के विभिन्न पहलुओं जैसे पंचनामा आदि की तैयारी में भी भाग लिया है। पी. डब्ल्यू. 8 इंद्रजीत सिंह स्वतंत्र गवाह है और घायल भी है पी. डब्ल्यू. 9 डॉ0 अंशुमान जोशी ने पी. डब्ल्यू. 8 इंद्रजीत सिंह की परीक्षा की है। पी.डब्ल्यू. 10 एस.ओ. संजय जोशी, पी.डब्ल्यू. 11 सुभाष सिंह और

पीडब्ल्यू 12 त्रिलोक राम बागरेथ इस मामले में विवेचना अधिकारी हैं। गवाहों की परीक्षा के अलावा, अभियोजन पक्ष ने 35 विभिन्न दस्तावेजों और 12 सामग्री वस्तुओं प्रदर्शों पर भी भरोसा किया। बचाव पक्ष की ओर से न तो किसी गवाह को परीक्षित कराया गया और न ही किसी दस्तावेज को साबित किया गया।

5. चिकित्सा साक्ष्य के साथ चश्मदीद गवाहों के कथन और संहिता की धारा 313 अन्तर्गत दंडित कैदी की संस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, विद्वान प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन ने दंडित कैदी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 और 307 अन्तर्गत अपना मामला स्थापित कर दिया है।

6. दंडादेश के प्रश्न पर, विद्वान प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने विभिन्न गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया और **वसंत संपत दुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, क्रीमनल अपील संख्या - 2486-2487 सन 2014 की रिव्यू पिटिशन (दांडिक) 637-638 सन 2015 और रामनरेश और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2012) 4 एससीसी 257** पर विचार करते हुए मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मां का स्थान ईश्वर के समतुल्य है जिसने अपने बेटे का पालन-पोषण किया है और किसी बच्चे के पालन-पोषण उसकी मां द्वारा करने का कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए मां की हत्या का समाज पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, उन्होंने माना कि यह दुर्लभ से दुर्लभ मामला है जिसमें दोषी कैदी को जुर्माने के साथ मौत की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने अग्रेतर अभिनिर्धारित किया कि दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत, दंडित कैदी को आजीवन कठोर कारावास भुगतना चाहिए और जुर्माने का संदाय करने के लिए दायी होना चाहिए।

7. श्री अरविंद वशिष्ठ, विद्वान एमिकस क्यूरी, ने तर्क के अनुक्रम में, प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दंडित कैदी ने संहिता की धारा 313 अन्तर्गत अभिलिखित अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी मां की हत्या की है, वह अपराध किए जाने के संबंध में विद्वान प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित तथ्यों के निष्कर्षों पर तर्क नहीं करना चाहता है। यद्यपि वह अग्रेतर यह तर्क देगा कि यह अपीलार्थी को मृत्युदंड देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है क्योंकि मामला उस मानदंड के चार कोनों के भीतर नहीं आता है जिसमें यह कहा जा सकता है कि मामला विरले मामलों में से विरलतम है जहां मृत्यु दंड को छोड़कर अन्य सभी विकल्प निर्विवाद रूप से प्रतिबंधित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि आजीवन कारावास और साथ मे जुर्माना ही दिया जाना चाहिए था। अतः तर्क दिया कि मृत्यु निर्देश का तदनुसार निस्तारण किया जाए और आपराधिक अपील का निपटान किया जाए।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री जे. एस. विर्क द्वारा तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 313 की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिए किसी कथन का उसके विरुद्ध साक्ष्य या सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इस मामले में चूंकि दण्डित कैदी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपराध किया है, इसलिए प्रश्न के तथ्य में जाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने

वास्तव में इस तथ्य की सराहना की कि इस मामले में बहस करने वाले विद्वान एमिकस क्यूरी ने तथ्य के इस प्रश्न को स्वीकार किया है। हालाँकि मृत्युदंड के प्रश्न पर, यद्यपि श्री जे. एस. विर्क ने मृत्युदंड का बचाव करने का साहसिक प्रयास किया था, हमारा यह मत है कि वह वास्तव में इस मामले में मृत्युदंड के दिए जाने का समर्थन नहीं कर सकते थे।

9. अभिलेख पर सामग्री का विश्लेषण करने पश्चात हमारा मत है कि अभिलेख पर साक्ष्यों की विस्तृत चर्चा में जाना आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और बचाव पक्ष अपने सबूतों में कोई ठोस और तात्विक विरोधाभास सामने लाने में विफल रहा है।

10. हमने संहिता की धारा 313 अन्तर्गत अभिलिखित दंडित कैदी के कथन की सावधानीपूर्वक जांच की है। पी डब्लू 2 बीना बिष्ट के बयान में प्रश्न संख्या 8,9 और 10 के बारे मे उस से पूचा गया । हम दंडित कैदी से किए गए प्रश्नों और उसके उत्तरों में उपयोग किए गए सटीक शब्दों को उद्धृत करना उचित समझते हैं, जो इस प्रकार हैंः

> " प्रश्न- 8 अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.2 बीना बिष्ट के साक्ष्य में आया है कि साक्षी आप अभियुक्त की पडोशी है । दिनांक 07.10.2019 को प्रातः 8:30-9:00 बजे पी.डब्लू.1 सोबन सिंह के घर में गुजर रही थी तो उसने देखा कि आप अपने घर के आँगन में हाथ में दराती लेकर अपनी माता जोमती देवी को अपने हाथ में लिए दराती से गर्दन में वार कर रहे थे और आप अभियुक्त एक हाथ से अपनी माता के सिर के बाल पकड़े थे, एक हाथ से दराती से गर्दन में वार कर रहे थे । इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
>
> उत्तर-मैंने अपनी माँ के बाल नहीं पकड़े थे ।
>
> प्रश्न- 9 अभियोजन साक्षी पी डब्लू- 2 बीना बिष्ट के साक्ष्य में यह भी आया है कि साक्षी के चिल्लाने पर साक्षी की सास देवकी देवी व मृतका की बहु पी डब्लू -4 नैना कोरंगा भी मौके पर आ गयी, तब भी आप डिगर सिंह अपनी माता के ऊपर वार कर रहे थे और वार करते-करते आपने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था, उसके उपरांत भी आप अपनी माता पर वार करते रहे । इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
>
> उत्तर-हाँ-हाँ, मैंने मारा । इन गवाहों ने ठीक कहा ।
>
> प्रश्न-10 अभियोजन साक्षी पी डब्लू- 2 बीना बिष्ट के साक्ष्य के दौरान आप अभियुक्त डिगर सिंह को न्यायालय में भी पंचना है और बताया कि आप उसके पडोशी है और आप अभियुक्त द्वारा ही साक्षी के सामने अपनी माता की हत्या कारित की । इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
>
> उत्तर-ठीक कहा । "

11. प्रश्न सं. 11,12 और 13 में, दंडित कैदी से मृतक पर उसके द्वारा किए गए हमले के बारे में पूछा गया था, जैसा कि पी. डब्ल्यू. 3 देविका देवी और पी. डब्ल्यू. 4 नैना कोरंगा ने अभिसाक्ष्य दिया था और उसने ऐसा करने की बात स्वीकार की थी। चूंकि यह पहले के प्रश्नों की पुनरावृत्ति है, इसलिए हमारी मत है कि उन्हें उद्धृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, चश्मदीद गवाहों के रूप में साक्ष्य हैं, जो स्थल , चिकित्सा रिपोर्ट और एसएफएसएल रिपोर्टों के सत्यापन जैसे उपस्थित परिस्थितियों द्वारा विधिवत समर्थित हैं। दोषी कैदी की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि गवाह सच बोल रहे हैं। वास्तव में, उसने प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में स्वीकार किया है कि उसने अपनी मां की हत्या की है।

12. संहिता की धारा 313 की उपधारा (4) इस प्रकार हैः

> *"(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी विचारण या विचारण में ध्यान में रखा जा सकता है और किसी अन्य अपराध की विचारण या विचारण में उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया जा सकता है जिसे ऐसे उत्तरों से पता चलता है कि उसने किया है।"*

13. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अन्य अपील के साथ, **(2010) 7 एस. सी. सी. 759, धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत दंडित कैदी द्वारा दिए गए कथन को आपराधिक मामले में दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपयोग किए गए सटीक शब्दों पर ध्यान देना उचित समझते हैं, जो इस प्रकार हैंः

> "32. नारायण सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1963) 3 एस. सी. आर. 678 में अधिकथित विधि का अनुसरण करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह, (1992) 3 एस. सी. सी. 700 वाले मामले में इस प्रश्न पर अग्रेतर विचार किया कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है और यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि जांच या विचारण में अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर विचार किया जा सकता है यद्यपि ऐसा कथन कठोर रूप मे साक्ष्य नहीं है और पैरा 52 में इस प्रकार मत व्यक्त किया गया:[सुखदेव सिंह (ऊपर)]
>
> "52. यहां तक कि प्रथम सिद्धान्त पर भी हम ऐसा कोई कारण नहीं देखते कि विचारण के अनुक्रम में या संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभिलिखित उसके कथन में अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृति या संस्वीकृति पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता।

14. इस प्रकार यह कानून में अच्छी तरह स्थापित है कि मुकदमे के दौरान दर्ज सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के बयान में स्वीकार या स्वीकृति पर

कार्रवाई की जा सकती है और विचारण अन्तर्गत दोषी ठहराने के लिए इन इकबालिया बयानों पर भरोसा कर सकती है।

14. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा दी रियायत सारवान है, और हम मौखिक और सहायक साक्ष्य दोनों, और संहिता की धारा 313 के तहत अपनी परीक्षा के दौरान अपीलार्थी द्वारा दी संस्वीकृति अन्तर्गत संतुष्ट हैं, कि विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराने में अभिलेख पर कोई त्रुटि नहीं की है।

15. जहां तक दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में अभिलेख पर साक्ष्य का संबंध है कि उसने स्वीकार किया है कि प्रश्न संख्या 14 के जवाब में उसने ग्रामीणों पर हमला किया, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी पर हमला नहीं किया। इसलिए, इस न्यायालय का मत है कि दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अन्तर्गत दोषी ठहराए गए कैदी की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

16. फिर, हमें विद्वान एमिकस क्यूरी की वैकल्पिक प्रस्तुति पर विचार करना होगा, जिन्होंने कहा है कि यह मौत की सजा देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है।

17. **माछी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एस. सी. सी. 470** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा इस मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने **बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 684** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का अनुसरण करते हुए पैरा संख्या 38 और 39 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया हैः

"38. इस पृष्ठभूमि में बचन सिंह के मामले में उपदर्शित मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रत्येक ऐसे व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को चुनना और लागू करना होगा जहां मृत्युदंड अधिरोपित करने का प्रश्न उठता है। बचन सिंह के मामले से निम्नलिखित प्रतिपादनाएं निकलती हैः

(i) अत्यधिक सदोषता के गंभीरतम मामलों को छोड़कर मृत्यु का चरम दंड देने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पूर्व अपराधी की परिस्थितियों को भी 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

(iii) आजीवन कारावास एक नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड मात्र तभी अधिरोपित किया जाना चाहिए जब अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूर्णतया अपर्याप्त दंड प्रतीत होता है और बशर्ते कि एवं केवल बशर्ते कि जब आजीवन कारावास का दंडादेश अधिरोपित करने का विकल्प अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्तव्यनिष्ठ रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

(iv) गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों का एक तुलना पत्र तैयार करना होगा और ऐसा करते समय कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प का उपयोग करने से पहले गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।

18. पैरा सं. 39 पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर अभिनिर्धारित किया है कि ऊपर कथित मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू करने में, न्यायालय को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या उस अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास का दंडादेश अपर्याप्त बनाता है और मृत्युदंड की मांग करता है और क्या अपराध की परिस्थितियों में ऐसा है कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली परिस्थितियों को अधिकतम भारांक देने के पश्चात भी मृत्यु दंड अधिरोपित करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है।

19. यह विनिश्चय करते समय कि क्या अपराध असामान्य है, न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि सामान्यतः ऐसा अपराध क्षेत्र में नहीं हुआ है, या यह कि जो अपराध किया गया है उसने समाज के बुनियादी ताने-बाने को झकझोर दिया है। इसे न्यायालय की अंतरात्मा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालना चाहिए जिससे कि उसके पास मृत्यु दंडादेश देने के सिवाय कोई अन्य विकल्प न रह जाए।

20. इस मामले में, यद्यपि विद्वान प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने प्रगणित शमन और गंभीर परिस्थितियों को ध्यान में रखा है, उसने वास्तव में दो प्रश्नों पर विचार नहीं किया है जिन्हें स्वयं से पूछा जाना है और जैसा कि **माछी सिंह (पूर्वोक्त)** के मामले में पैराग्राफ संख्या 39 में वर्णित किया गया है।

21. हम **अबसार आलम उर्फ अफसर आलम बनाम बिहार राज्य, (2012) 2 एससीसी 728** के मामले पर भी विचार कर रहे हैं, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विचार किया है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा अपनी मां का सिर कलम करना दुर्लभों मे दुर्लभ मामला नहीं है, जिसमें मृत्युदंड अधिरोपित किया जाना चाहिए क्योंकि अपराध आवेग के अनुरूप, न कि पूर्व-ध्यान के पश्चात किया गया है।

22. इस मामले में, हम पाते हैं कि एफ. आई. आर. स्वयं यह दर्शित करती है कि दंडित कैदी और मृतक के बीच कुछ झगड़ा है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दोषी कैदी ने जान-बूझकर, पूर्व-ध्यान के साथ, अपराध किया था। इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अफसर आलम** (उपर्युक्त) मामले में तय किया गया निर्णय का औचित्य इस मामले को पूरी तरह से कवर करता है।

23. इसके अतिरिक्त, हम अभिलेखों से देखते हैं कि दंडित कैदी के विरुद्ध कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। जेल अधीक्षक की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उन्होंने जेल में रहते हुए खुद को गलत तरीके से पेश किया है। यह भी देखा गया है कि उसने संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से संस्वीकृति की है कि उसने अपनी मां की हत्या की है। इसलिए, हमारे मत में, मृत्युदंड इस मामले के लिए समुचित नहीं है और इसे दुर्लभों मे दुर्लभ मामला नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें अन्य सभी विकल्प निर्विवाद रूप से प्रतिबंधित हों । इसके अतिरिक्त,

मृत्युदंड मात्र तभी अधिनिर्णीत किया जाता है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दंडित कैदी को इस आशंका के कारण समाज में वापस नहीं छोड़ा जा सकता है कि उसका आगे का जीवन समाज के लिए खतरा होगा और यह कि समाज में उसका पुनः समावेश उन सभी लोगों के लिए खतरनाक होगा जो उसके संपर्क में आते हैं। इस मामले में, विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश का ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है।

24. अतः, हमारा यह मत है कि अपील अंशतः सफल होनी चाहिए। मामले के उक्त दृष्टिकोण में, आपराधिक अपील, इसके द्वारा, आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। धारा 302 और 307 के अन्तर्गत दोषी ठहराए गए कैदी की सजा की पुष्टि की जाती है। लेकिन हम दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अन्तर्गत अपराध के लिए दंड को संशोधित करने के इच्छुक हैं। अपीलार्थी को धारा ३०२ के अन्तर्गत आजीवन कारावास भुगतने और रु. २५, ०००/- का जुर्माना अदा करने और जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम में, एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास भुगतने का निर्देश दिया जाता है। धारा 307 के अन्तर्गत अपराध के लिए, अपीलार्थी को दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने और 10,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने और जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम में छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया जाता है।

25. तदनुसार, दांडिक अपील अंशतः स्वीकार की जाती है और दांडिक संदर्भ का तदनुसार उत्तर दिया गया है।

26. हम इस मामले में दोषी कैदी के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में प्रस्तुत होते हुए श्री अरविंद वशिष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किए प्रयासों की सराहना करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपराधिक अपील और आपराधिक संदर्भ के निपटान में हमें निःस्वार्थ मूल्यवान सहायता प्रदान की है।

27. इस फैसले की एक प्रति विचरण न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ विचारण न्यायालय को तुरंत वापस भेजी जाए।

(एस. के. मिश्रा, ए.सी.जे.)

(एन एस धानिक, जे.)

दिनांकः19 मई, 2022

निशांत